


26-2-19 वकील उभयपक्ष उपस्थित वादी के साथ शपथ पत्र  
 पेश हुए कार्रग. उके साथ दस्तावेज पेश किए  
 शामिल पत्रावली क्रिये जाये। प्रकरण के राजीनामा के  
 के कारण बहस सुनी गई बहस पर भवन किया गया  
 पत्रावली का अवलोकन किया जाय बाद अवलोकन  
 वादी स्वीकार किया जाकर विस्तृत निर्णय दृष्टक  
 से लिखा जाकर डिप्टी जारी करने वाकह किया जाय  
 रूप पेश कम्पे हेतु वकील वादी को विदापत दी गई  
 पेश देने पर डिप्टी जारी हो। पत्रावली नम्बर से  
 कर की जाकर बाद तकमील दामिल दफ्तर हो



Web Copy - Not Official  
 सत्यमेव जयते

(कामल यादव)  
 सहायक कलक्टर  
 एवं न्यायाधिकारी  
 हनुमानगढ़

27-9-19

वकील वादी द्वारा विनिर्दिष्ट दिनांक 26-9  
 की पालना में डिप्टी जारी व्यक्तों का शपथ पत्र  
 पेश जो शामिल पत्रावली क्रिया जाकर डिप्टी  
 वाद शामिल पत्रावली की गई

न्यायालय उपखण्ड

न्यायाधीश अधिकारी :- कपिल

स्व वाद संख्या :- 218

- 1 राजेन्द्र सिंह पुत्र म  
हनुमानगढ़।
- 2 प्रवीन्द्र सिंह पुत्र श्री  
हनुमानगढ़।
- बलकार सिंह पुत्र  
हनुमानगढ़।
- रविन्द्र सिंह पुत्र  
हनुमानगढ़।

- करतार सिंह पुत्र  
हनुमानगढ़।
- हरबंस सिंह पुत्र  
हनुमानगढ़।
- मुख्त्यार सिंह पुत्र  
हनुमानगढ़।
- मनजीत कौर पुत्री  
तहसील व जिला  
सुखवीर कौर पुत्री  
एन.डबल्यू. तहसील  
गुरप्रीत कौर पुत्री  
तहसील सादुलश  
राजस्थान सरकार

वा अन्तर्गत ध

- श्री सुरेन्द्र सिंहा
- श्री भीमसैन अधि
- राज पैरोकार

वादीगण द्वारा  
 इस न्यायालय  
 वादी संख्या 6 के  
 के नाम

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़**

पीठासीन अधिकारी :- कपिल यादव आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 218/2019

- 1 राजेन्द्र सिंह पुत्र मुख्त्यार सिंह जाति जटसिख निवासी गुरुसर तहसील व जिला हनुमानगढ़।
- 2 प्रवीन्द्र सिंह पुत्र श्री मुख्त्यार सिंह जाति जटसिख निवासी गुरुसर तहसील व जिला हनुमानगढ़।
- 3 बलकार सिंह पुत्र हरबंस सिंह जाति जटसिख निवासी गुरुसर तहसील व जिला हनुमानगढ़।
- 4 रविन्द्र सिंह पुत्र हरबंस सिंह जाति जटसिख निवासी गुरुसर तहसील व जिला हनुमानगढ़।

-- वादीगण

**-- बनाम --**

- 1 करतार सिंह पुत्र मित सिंह जाति जटसिख निवासी गुरुसर तहसील व जिला हनुमानगढ़।
- 2 हरबंस सिंह पुत्र करतार सिंह जाति जटसिख निवासी गुरुसर तहसील व जिला हनुमानगढ़।
- 3 मुख्त्यार सिंह पुत्र करतार सिंह जाति जटसिख निवासी गुरुसर तहसील व जिला हनुमानगढ़।
- 4 मनजीत कौर पुत्री करतार सिंह पत्नी जगतार सिंह जाति जटसिख निवासी सतीपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
- 5 सुखवीर कौर पुत्री करतार सिंह पत्नी हरपाल सिंह जाति जटसिख निवासी 22 एस. एस.डबल्यू तहसील व जिला हनुमानगढ़।
- 6 गुरप्रीत कौर पुत्री हरबंस सिंह पत्नी हरविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी गदरखेडा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
- 7 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार हनुमानगढ़

-- प्रतिवादीगण

**दावा अन्तर्गत धारा :- 88, 53 आर.टी.ए. बाबत घोषणा एवम् विभाजन**

**निर्णय दिनांक :- 26.09.2019**

वादीगण की ओर से श्री सुरेन्द्र सिहाग अधिवक्ता, प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 की ओर से श्री अमरकिसिंह अधिवक्ता तथा प्रतिवादी संख्या 7 की ओर से राज पैराकार इस वाद में आज दिनांक 27.09.19 को कपिल यादव आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़ के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है, कि उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, के अन्तर्गत वाद में वर्णित प्रतिवादी संख्या 1 करतारसिंह के नाम चक नम्बर 9 एस.एस.डबल्यू की 3.795 हैक्टर, चक 10 एस.एस.डबल्यू (बी) की 2.530 हैक्टर तथा चक 10 एस.एस.डबल्यू (ए) की 0.632 हैक्टर भूमि में करतारसिंह का नाम विलोपित करते हुए उसके स्थान पर प्रतिवादी संख्या 1 करतारसिंह के पुत्र वादी संख्या 1 को 1.265 हैक्टर वादी संख्या 2 को 1.898 हैक्टर वादी संख्या 3 व 4 को बहिस्सा बराबर 1.897 हैक्टर तथा प्रतिवादी संख्या 1 के पुत्र प्रतिवादी संख्या 2 को 1.265 हैक्टर भूमि का खातेदार घोषित करते हुए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के अन्तर्गत निम्नानुसार विभाजन किया जाता है :-

- (क) वादी संख्या 1 राजेन्द्र सिंह को चक नम्बर 10 एस.एस.डबल्यू बी के खाता संख्या 13/10 के पत्थर नम्बर 143/295 मुरब्बा नम्बर 51 किला नम्बर 1/253 हैक्टर, 10, 11, 20, 21/240, 22/013 कुल 1.265 हैक्टर।

लगातार ..... 2

- (ख) वादी संख्या 2 प्रवीन्द्र सिंह को चक नम्बर 9 एस.एस.डब्ल्यू के पत्थर नम्बर 148/297 मुरब्बा नम्बर 22 किला नम्बर 16/.126, 17/.126, 18/.127, 19/.127, 20/.127, 21 ता 25 कुल 1.898 हैक्टर मय गैर मुमकिन।
- (ग) वादी संख्या 3 व 4 बलकारसिंह व रविन्द्रसिंह को चक नम्बर 9 एस.एस.डब्ल्यू के पत्थर नम्बर 148/297 मुरब्बा नम्बर 22 के किला नम्बर 11 ता 15, 16/.127, 17/.127, 18/.126, 19/.126, 20/.126 कुल 1.897 हैक्टर मय गैर मुमकिन
- (घ) प्रतिवादी संख्या 2 हरबंससिंह को चक 10 एस.एस.डब्ल्यू बी के खाता संख्या 13/10 के पत्थर नम्बर 143/295 मुरब्बा नम्बर 51 के किला नम्बर 2, 9, 12, 19, 21/.013, 22/.240 कुल 1.265 हैक्टर मय गैर मुमकिन।
- (ङ) चक 10 एस.एस.डब्ल्यू ए खाता संख्या 41/35 मे संयुक्त खाते कुल 5.692 हैक्टर भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 करतार सिंह के नाम दर्ज 0.632 हैक्टर भूमि में करतार सिंह के स्थान पर करतारसिंह के पुत्र वादी संख्या 1 राजेन्द्र सिंह को 0.316 हैक्टर तथा करतारसिंह के पुत्र प्रतिवादी संख्या 2 हरबंससिंह को 0.316 हैक्टर भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होने की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बाराणी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 27.9.19 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई मुहर

(कपिल यादव)

उपखण्ड अधिकारी एवम्  
पदेन सहायक कलेक्टर  
हनुमानगढ़

-:: वाद के खर्चे ::-

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
वाद पत्र के लिये स्टाम्प	--	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	--
शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	--	अर्जी के लिये स्टाम्प	--
प्रदर्शो के लिये स्टाम्प	--	प्लीडर की फीस	--
..... रूपये पर प्लीडर की फीस	--	साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	--
साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	--	आदेशिका की तामिल	--
कमिश्नर की फीस	--	कमिश्नर की फीस	--
आदेशिका की तामिल	--		--
योग	--	योग	--

